

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक : मुसप्र/2022/805

दिनांक : 27/12/22

कार्यालय आदेश


राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा मण्डल कर्मचारियों/पत्रकारों/माननीय विधायकों/सांसदों को विभिन्न शहरों में पूर्व के वर्षों में प्लिंथ लेवल/स्केलटन आवासों का आवंटन किया गया था। जिनके आवंटन पत्रों में निर्माण सम्बन्धी सीमा की कोई शर्त नहीं लगाये जाने के कारण अधिकांश कर्मचारियों, पत्रकारों, माननीय विधायकगण व सांसदगण द्वारा निर्माण कार्य नहीं करने पर एक बारीय दो वर्ष की राहत कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/248 दिनांक 07-07-2020 के द्वारा प्रदान की गयी थी। जिसे कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2022/192 दिनांक 19-05-2022 के द्वारा दिनांक 07-07-2022 से आगामी दो वर्ष के लिए बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

मण्डल के संचालक मण्डल की 248 वीं बैठक दिनांक 22-11-2022 में निर्णय की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्ताव संख्या 248.62 रखा गया। बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णयानुसार कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2022/192 दिनांक 19-05-2022 को कार्योत्तर स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।


(पवन अरोड़ा)
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव-सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक(विधि) राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता-मुख्यालय/प्रथम/द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
34. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, रा0 आ0 मा0, जयपुर/जोधपुर।
35. उप आवासन आयुक्त, मुख्यालय, रा0आ0म0, जयपुर।
5. उप आवासन आयुक्त, वृत्त-....., रा0आ0म0, (समस्त)
6. आवासीय अभियन्ता, खण्ड-....., रा0आ0म0,
7. अति0 निजी सचिव-मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा0आ0म0 जयपुर।
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), रा.आ.म., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर डलवाये व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
8. प्रभारी अधिकारी, नागरिक सेवा केन्द्र, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।


मुख्य सम्पदा प्रबन्धक